

2018/00301

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी

निवेदन है कि नाम अरवड़ की जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 82 में प्राची के नाम / की जमि प्रहलाद दर्ज है। जबकि प्राची के आधार कार्ड में प्राची के नाम / की जमि उता दर्ज है। अतः उक्त खाते में प्राची के नाम / की जमि अरवड़ के बजाय उता दर्ज किया जाना उचित होगा।

रजत लाल अदालत अदालत  
"राज अदालत इत-2018"

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

  
यागेश कुमार जाखड़  
पटवारी  
पटवार मण्डल अरवड़  
तह. फुलिया कला (भीलवाड़ा)

अतिरिक्त रिपोर्ट पटवारी, I.P.R. संशोधन योग्य है।

तहसीलदार, फुलिया कला (भीलवाड़ा)


पुं ९-317/18

रजत लाल अदालत अदालत  
आदेश केस- अरवड़ दिनांक 5/6/18

इस रिपोर्ट तहसीलदार फुलिया कला के अंतर्गत अरवड़ की जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता सं. 82 में प्राची अरवड़ की बजाय उता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पालनाथ तहसीलदार फुलिया कला को भेजा जावे।



  
उपखण्ड अधिकारी  
फुलिया कला (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी

फुलियाँ कला